



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-20012022-232770
CG-DL-E-20012022-232770

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 271]
No. 271]

नई दिल्ली, बुधवार, जनवरी 19, 2022/पौष 29, 1943
NEW DELHI, WEDNESDAY, JANUARY 19, 2022/PAUSHA 29, 1943

कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 10 जनवरी, 2022

का.आ. 277(अ).—केन्द्रीय सरकार, नारियल विकास बोर्ड अधिनियम, 1979 (1979 का 5) की धारा 20 की उप-धारा (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, नारियल विकास बोर्ड विनियम, 1982 का और अधिक संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात्:—

- (1) इन विनियमों का संक्षिप्त नाम नारियल विकास बोर्ड (संशोधन) विनियम, 2021 है।
(2) ये राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख से लागू होंगे।
- नारियल विकास बोर्ड विनियमों (जिसे इसमें इसके पश्चात मूल विनियमों कहा गया है) के विनियम 3, उप-विनियम (1) में,—
 - खंड (क) में,—
 - उपखंड (i) के स्थान पर निम्नलिखित उपखंड रखा जाएगा, अर्थात्:—

“(i) मुख्य कार्यकारी अधिकारी जो समिति के मुख्य कार्यकारी और पदेन सदस्य होंगे.”;
 - उप-खंड (iii) में,—

(क) "तीन" शब्द के स्थान पर "चार" शब्द रखा जाएगा;

(ख) "केरल" शब्द के पश्चात् "आंध्र प्रदेश" शब्द अंतःस्थापित किया जाएगा।

(II) खंड (ख) में,—

(i) उपखंड (i) के स्थान पर निम्नलिखित उपखंड को रखा जाएगा अर्थात्:—

“(i) मुख्य कार्यकारी अधिकारी जो समिति का मुख्य कार्यकारी और पदेन सदस्य होगा.”;

(ii) उप-खंड (iii) में, "चार" शब्द के स्थान पर, "छह" शब्द रखा जाएगा;

(III) खंड (ग) में,—

(i) उपखंड (i) के स्थान पर निम्नलिखित उपखंड रखा जाएगा, अर्थात्:—

“(i) मुख्य कार्यकारी अधिकारी जो समिति का मुख्य कार्यकारी और पदेन सदस्य होगा.”;

(ii) उप-खंड (vi) में "सहकारिता" शब्द का लोप किया जाएगा;

(IV) खंड (घ) में,—

(i) उपखंड (i) के स्थान पर निम्नलिखित उपखंड रखा जाएगा, अर्थात्:—

“(i) मुख्य कार्यकारी अधिकारी जो समिति का मुख्य कार्यकारी और पदेन सदस्य होगा.”;

(ii) उप-खंड (iii) में,—

(क) "तीन" शब्द के स्थान पर "चार" शब्द रखा जाएगा;

(ख) "केरल" शब्द के पश्चात्, "आंध्र प्रदेश" शब्द अंतःस्थापित किया जाएगा;

(iii) उप-खंड (iv) में,—

(क) "तीन" शब्द के स्थान पर "चार" शब्द रखा जाएगा;

(ख) "एक" शब्द के स्थान पर "दो" शब्द रखा जाएगा;

(iv) उप-खंड (v) में, "सहकारिता" शब्द का लोप किया जाएगा;

3. मूल विनियमों में, विनियम 8 में, उप-विनियम (1) में, "कम से कम छह सदस्यों" शब्दों के स्थान पर "संबंधित समिति को गठित करने वाली संख्या का कम से कम एक चौथाई" शब्दों को रखा जाएगा।

4. मूल विनियमों में, विनियम 18 का लोप किया जाएगा।

[फा. सं. 4-4/2019-एमआईडीएच (सीडीबी)/83026(ई)]

राजबीर सिंह पंवार, संयुक्त सचिव

टिप्पण: मूल विनियम भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग- II, खंड 3, उप-खंड (ii) तारीख 12 फरवरी, 1982 संख्या का.आ. 85(अ) द्वारा प्रकाशित किया गया था और अधिसूचना संख्या जी.एस.आर.479 (अ) तारीख 26 मई, 1994, द्वारा अंतिम बार संशोधित किया गया।

MINISTRY OF AGRICULTURE AND FARMERS WELFARE

NOTIFICATION

New Delhi, the 10th January, 2022

S.O. 277(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (3) of section 20 of the Coconut Development Board Act, 1979 (5 of 1979), the Central Government hereby makes the following regulations further to amend the Coconut Development Board Regulations, 1982, namely:—

1. (1) These regulations may be called the Coconut Development Board (Amendment) Regulations, 2021.
- (2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.
2. In the Coconut Development Board Regulations (hereinafter referred to as the principal regulations) in regulation 3, in sub-regulation (1),—
 - (I) in clause (a),—
 - (i) for sub-clause (i), the following sub-clause shall be substituted namely;—

“(i) The Chief Executive Officer who shall be the Chief Executive and ex-officio Member of the Committee.”;
 - (ii) in sub- clause (iii),—
 - (a) for the word “three”, the word “four” shall be substituted;
 - (b) after the word “Kerala”, the word “Andhra Pradesh”, shall be inserted.
 - (II) in clause (b),—
 - (i) for sub-clause (i), the following sub-clause shall be substituted namely:—

“(i) the Chief Executive Officer who shall be the Chief Executive and ex-officio member of the Committee.”;
 - (ii) in sub-clause (iii), for the word “four”, the word “six” shall be submitted;
 - (III) in clause (c),—
 - (i) for sub-clause (i), the following sub-clause shall be substituted namely:—

“(i) the Chief Executive Officer who shall be the Chief Executive and ex-officio member of the Committee.”;
 - (ii) in sub-clause (vi), the word “Cooperation”, shall be omitted;
 - (IV) in clause (d),—
 - (i) for sub-clause (i), the following sub-clause shall be substituted namely:-

“(i) the Chief Executive Officer who shall be the Chief Executive and ex-officio member of the Committee.”;
 - (ii) in sub-clause (iii),—
 - (a) for the words “three”, the words “four” shall be substituted;
 - (b) After the word “Kerala”, the word “Andhra Pradesh,” shall be inserted;
 - (iii) in sub- clause (iv),—

- (a) for the word “ three”, the word “four” shall be substituted;
 - (b) for the word “one”, the word “two” shall be substituted;
 - (iv) in sub- clause (v), the word “Cooperation” shall be omitted;
3. In the principal regulations, in regulation 8, in sub-regulation (1), for the words “at least six members” the words “at least one fourth of the numbers constituting the respective Committee” shall be substituted.
4. In the principal regulations, the regulations 18, shall be omitted.

[F. No. 4-4/2019-MIDH (CDB)/83026(E)]

RAJBIR SINGH PANWAR, Jt. Secy.

Note: the principal regulations were published in the Gazette of India, Extraordinary, Part-II, Section 3, Sub-section (ii) *vide* number S.O. 85(E), dated the 12th February, 1982 and were last amended *vide* notification number G.S.R.479 (E), dated 26th May, 1994.